रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 5 अप्रैल, 2006/15 चैत्र, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171004, 5 अप्रैल, 2006

संख्या वि0 स0–विधायन–गवर्न0 बिल0 1–24/2006.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत निम्नलिखित विधेयक हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुके हैं, इन्हें सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है :––

1. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 10)।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 11)।

3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 12)।

हस्ताक्षरित / –
(जे0 आर0 गाज़टा)
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2006 का विधेयक संख्यांक 10

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2006 है ।

धारा 7 का संशोधन।

2000 का 11

2. मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 7 में,—

(क) "पत्नी या पति" तथा "अस्सी हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः "कुटुम्ब" तथा "एक लाख" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (1) में, चतुर्थ परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए पद "कुटुम्ब" से पति या पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा तथा अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री भी इसके अन्तर्गत हैं ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों की सुख-सुविधा समिति ने सदस्यों के वेतन और अन्य सुविधाओं में बढ़ौतरी करने की सिफारिश की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें उनको देने का विनिश्चय कर लिया गया है । इसलिए सदस्यों, मंत्रियों और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की बाबत एकरूपता बनाये रखने के लिए तथा मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के उपबन्धों को हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुरूप लाने के लिए पति या पत्नी के बजाए माननीय मंत्रियों के कुटुम्ब को रेल द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) की सुविधा देने और इस सुविधा के लिए, किसी वित्तीय वर्ष में अधिकतम सीमा को अस्सी हजार किलोमीटर से बढ़ाकर एक लाख किलोमीटर करने का भी विनिश्चय किया गया है । इसलिए मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

तारीख ....., 2006

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 1.65 लाख रूपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
[जी.ए.डी.फाईल नं0 जी0ए0डी0-सी (डी) 6-1/2004]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2006 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2006

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख ....., 2006

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 2006

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2006. Short title.

11 of 2000 **2. In section 7 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000,—** Amendment of section 7.

(*a*) for the words "spouse" and "eighty thousand", wherever these occur, the words "family" and "one lac" shall respectively be substituted ; and

(*b*) in sub-section (1), after fourth proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.— **For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.".**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Members Amenities Committee of Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended to enhance the Salaries and other facilities to the Members which has been accepted, and has been decided to extend the same to them. Thus, in order to maintain the uniformity amongst the Members, the Ministers and the Speaker and the Deputy Speaker and also to bring the provisions of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 in conformity with the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, it has been decided to extend the facility of free transit by railway or by air or by State Transport Undertaking to the family instead of spouse of Hon'ble Ministers and also to enhance maximum limit for this facility from 80,000 kilometers to 1.00 lac kilometers in any financial year. This has necessitated the amendments in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

Shimla:
The ..... 2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 1.65 lakh per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C (D) (6)-1/2004]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 2006, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2006

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

Shimla :

The ..... 2006.

2006 का विधेयक संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2006 है ।

धारा 10-क का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की धारा 10-क में,—

(क) "पत्नी या पति" तथा "अस्सी हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः "कुटुम्ब" तथा "एक लाख" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) उप-धारा (1) में, चतुर्थ परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए पद "कुटुम्ब" से पति या पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा तथा अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री भी इसके अन्तर्गत हैं ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों की सुख-सुविधा समिति ने सदस्यों के वेतन और अन्य सुविधाओं में बढ़ौतरी करने की सिफारिश की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें उनको देने का विनिश्चय कर लिया गया है । इसलिए, सदस्यों, मंत्रियों और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की बाबत एकरूपता बनाये रखने के लिए तथा हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 के उपबन्धों को हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुरूप लाने के लिए, पति या पत्नी के बजाए यथास्थिति, माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कुटुम्ब को रेल द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) की सुविधा देने और इस सुविधा के लिए, किसी वित्तीय वर्ष में अधिकतम सीमा को अस्सी हजार किलोमीटर से बढ़ाकर एक लाख किलोमीटर करने का भी विनिश्चय किया गया है । इसलिए, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमलाः

तारीख.....2006

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 3.65 लाख रूपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[जी.ए.डी.फाईल नं0 जी0ए0डी0-सी (डी) 6-1/2006]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2006 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2006

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख.....2006.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2006

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty–seventh Year of the Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2006. Short title.

4 of 1971 **2. In section 10-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971,—** Amendment of section 10-A.

(a) for the words "spouse" and "eighty thousand", wherever these occur, the words "family" and "one lac" shall respectively be substituted; and

(b) in sub-section (1), after fourth proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.— For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Members Amenities Committee of Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended to enhance the Salaries and other facilities to the Members which has been accepted, and has been decided to extend the same to them. Thus, in order to maintain the uniformity amongst the Members, the Ministers and the Speaker and the Deputy Speaker and also to bring the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 in conformity with the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, it has been decided to extend the facility of free transit by railway or by air or by State Transport Undertaking to the family instead of spouse of Hon'ble Speaker and Deputy Speaker, as the case may be, and also to enhance maximum limit for this facility from 80,000 kilometers to 1.00 lac kilometers in any financial year. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

Shimla :
The.....2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 3.65 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C- (D) (6)-1/2006]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker' Salaries (Amendment) Bill, 2006, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2006

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker' Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

Shimla :

The .....2006.

2006 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2006 है ।

धारा 3 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' निर्दिष्ट किया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) में "चार हजार" शब्दों के स्थान पर "आठ हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) "पत्नी या पति" तथा "अस्सी हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः "कुटुम्ब" तथा "एक लाख" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) उप-धारा (1) में पांचवें परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए पद "कुटुम्ब" से पति या पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा तथा अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री भी इसके अन्तर्गत हैं ।"।

धारा 6-ख का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 6-ख की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में, प्रथम परन्तुक में, "ऐसे व्यक्तियों को संदेय पेन्शन किसी भी दशा में 13,000/- रूपए प्रतिमास, से अधिक नहीं होगी ।" शब्दों, अंकों और चिन्हों का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ट खर्चों, जो कि राज्य विधान सभा के माननीय सदस्यों को जन-प्रतिनिधि के रूप में जन जीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनकी विद्यमान उपलब्धियों और सुख-सुविधाओं के पुनरीक्षण के लिए लगातार मांग रही है तथा विधान सभा सदस्य सुख-सुविधा समिति ने भी वेतन में वृद्धि और रेलगाड़ी द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के लिए अस्सी हजार किलोमीटर की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर एक लाख किलोमीटर करने की सिफारिश की है । इसलिए विधान सभा सदस्य सुख-सुविधा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने और सदस्यों का वेतन चार हजार रूपए से बढ़ाकर आठ हजार रूपए प्रतिमाह करने का और पति या पत्नी के स्थान पर कुटुम्ब को रेलगाड़ी द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा देने तथा किसी एक वित्तीय वर्ष में इस सुविधा के लिए अस्सी हजार किलोमीटर की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर एक लाख किलोमीटर करने का भी विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सदस्यों की बाबत पेन्शन की विद्यमान अधिकतम सीमा, अर्थात 13000/- रूपए प्रतिमास का लोप करने का विनिश्चय भी किया गया है । इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

तारीख....., 2006

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 4 के अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 34.00 लाख रूपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[जी.ए.डी.फाईल नं0 जी0ए0डी0-सी (डी) 6-1/2006]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2006 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2006

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठकुर,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख :....., 2006

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 2006

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2006. Short title.

8 of 1971

2. **In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the "Principal Act"), in sub-section (1), for the words "four thousand", the words "eight thousand" shall be substituted.** Amendment of section 3.

3. ***In section 6 of the principal Act,—*** Amendment of section 6.

(a) for the words " spouse" and "eighty thousand" , wherever these occur, the words "family" and "one lac" shall respectively be substituted. ; and

(b) in sub-section (1), after fifth proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.— **For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse their unmarried son (s) and daughter (s) including unmarried adopted son and daughter.".**

4. **In section 6-B of the principal Act, in sub-section(1), in clause (e), in first proviso, for the words, figures and signs " in no case the pension payable to such persons shall not exceed Rs. 13,000/- per mensem. For ", the word " for" shall be substituted.** Amendment of section 6-B.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the Hon'ble Members of the State Legislative Assembly as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, there has been persistent demand for the revision of their existing emoluments and amenities and Vidhan Sabha Members Amenities Committee have also recommended to enhance the salary and to extend the maximum limit of 80,000 kilometers to 1.00 lac kilometers for free transit facility by railway or by air or by State Transport Undertaking. As such, it has been decided to accept the recommendations of the Members Amenities Committee and to enhance the salary of Members from Rs. 4000/- to Rs. 8000/- per mensem and to extend the facility of free transit by railway or by air or by State Transport Undertaking to their family instead of spouse and also to enhance maximum limit for this facility from 80,000 kilometers to 1.00 lac kilometers in any financial year. Further, it has also been decided to omit the existing maximum limit of pension i.e. Rs. 13,000/- per mensem in respect of ex-members. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

Shimla:
The _____ 2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 to 4 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 34.00 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C –D (6)-1/2005]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2006, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2006

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

Shimla :

The 2006

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित